भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4089

जिसका उत्तर सोमवार, 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

ऋण और असुरक्षित ऋण

4089. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पिछले दस वर्षों के दौरान देश में प्रति नागरिक औसत ऋण में वर्ष-वार वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि असुरक्षित ऋणों में भी तेजी से वृद्धि हुई है और वित्तीय वर्ष 2024-25 तक इसकी हिस्सेदारी बढ़कर 25 प्रतिशत से अधिक हो गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो पिछले दस वर्षों के दौरान सरकार द्वारा योजनाओं और परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक-वार और वर्ष-वार दिए गए असुरक्षित ऋणों का प्रतिशत और राशि कितनी है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): जी, नहीं। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सूचित किये गये अनुसार मार्च 2025 के अंत में, क्रेडिट सूचना कंपनी, ट्रांसयूनियन सिबिल द्वारा रिपोर्ट किए गए लगभग 28 करोड़ अनन्य व्यक्तिगत उधारकर्ता थे, जबकि भारत की जनसँख्या 140 करोड़ से अधिक है| इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने यह सूचित किया है कि ट्रांसयूनियन सिबिल से आंकड़े केवल पिछले आठ वर्षों के लिए रखे जा रहे हैं। उधारकर्ताओं के इस अनूठे समूह के लिए आरबीआई ने अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, जून 2025 में प्रति व्यक्ति ऋण (व्यक्तिगत या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले उपभोक्ता खंड ऋणों द्वारा परोक्ष) मार्च , 2018 में 3.41 लाख रुपये से मार्च 2025 में 4.77 लाख रुपये तक की वृद्धि दर्ज की है।

इस प्रकार, यह आंकड़ा भारतीय नागरिक के औसत ऋण का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित घरेलू ऋण संबंधी अलग-अलग आंकडे दर्शाते हैं कि घरेलू ऋण में वृद्धि औसत ऋणग्रस्तता में वृद्धि के बजाय उधारकर्ताओं की बढ़ती संख्या के कारण है। इसके अतिरिक्त, लगभग दो-तिहाई ऋण उच्च क्रेडिट स्कोर वाले उधारकर्ताओं को दिए जाते हैं। उच्च वरीयता वाले उधारकर्ताओं का प्रति व्यक्ति ऋण जिसका उपयोग आम तौर से अस्तियों के निर्माण के लिए किया जाता है, में तेजी से वृद्धि हुई है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय खाता सांख्यिकी से उपलब्ध नवीनतम जानकारी के आधार पर परिवारों की कुल वित्तीय देनदारियां (सहकारी बैंकों, बीमा निगमों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और सरकार से ऋण सहित), भारत की जनसंख्या से विभाजित (राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की जुलाई 2020 की रिपोर्ट के अनुसार) वर्ष 2012-13 में 2,658 रुपये से बढ़कर 2023-24 में 13,470 रुपये हो गईं; जिसका मुख्य कारण घरेलू आय में वृद्धि, उपभोग व्यय में वृद्धि और औपचारिक क्रेडिट चैनलों तक अधिक पहुंच है।

31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए अप्रतिभूत खुदरा ऋणों की बकाया राशि ₹15,08,586 करोड़ थी। अप्रतिभूत खुदरा ऋणों का हिस्सा अपेक्षाकृत कम है, जो खुदरा ऋणों का 25.0 प्रतिशत और सकल अग्रिमों का 8.3 प्रतिशत है, जो भारतीय बैंकों की आस्ति गुणवत्ता के संबंध में प्रणालीगत चिंता का विषय नहीं है।

सरकार अपनी योजनाओ और परियोजनाओं के अंतर्गत सीधे ऋण प्रदान नहीं करती है। इसके बजाय, यह ब्याज अनुदान , ऋण गारंटी और अन्य सुविधाजनक उपायों के माध्यम से सहायता प्रदान करता है। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों और विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार ऋण स्वीकृत और संवितरित किए जाते हैं। ऐसी सभी योजनाओं जिनका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ आजीविका सृजन, आय सृजन और उद्यमिता को बढ़ावा देना है, मे ऋण सामान्यत: ऋण प्रयोजन से संबंधित प्राथमिक सुरक्षा, सुसंगत ऋण गारंटी योजनओं के अंतर्गत गारंटी कवर और जहां कहीं अपेक्षित हो, संपार्श्विक द्वारा सुरक्षित किए जाते हैं।

*****